FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0263 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/09/2026 15:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

 1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 06/05/2026

 Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 10:54 बजे

 (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/09/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

 (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/09/2026 15:44:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

 1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

 (b) **Address(पता):** SANUKT NIDASHAK KAKSH KARAYALAY,SANUKT NIDASHAK,, KARSHI VISTAR,BARAN

 (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

 Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANOJ KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHAWANI SHANKAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SAMASPUR,POST LISADIYA, KELWARA(BARAN), BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SAMASPUR,POST LISADIYA, KELWARA(BARAN), BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AANDILAL		पिता:JAILAL MEENA	1. CHHADGOAN,POST HINGONIYA,KESHORAI PATAN,BUNDI,RAJASTHAN,IND

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात इस प्रकार है कि दिनांक 05.05.2026 को समय 04.30 पी.एम पर परिवादी मनोज कुमार पुत्र श्री भवानीशंकर जाति जांगीड उम्र 38 साल निवासी- ग्राम समसपुर पोस्ट लिसाडिया थाना कोतवाली जिला बांरा उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि “ मैं ग्राम समसपुर का रहने वाला हूं तथा मेरे नाम कृषि हेतु बीज वितरण करने, दवाईयां सप्लाई करने तथा खाद वितरण करने के लाईसेंस हैं, उपरोक्त कार्य मेरे द्वारा मांगरोल रोड समसपुर में मेरे मकान से 4 साल से किया जा रहा हैं। मेरे द्वारा उक्त कार्य के लिए लिये लाईसेंस से किये गये समस्त कार्यों के लिए काम में लिये गये रजिस्टर व बिलों आदि को वर्ष में एक बार संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, बांरा द्वारा वेरीफाई किया जाता हैं। इससे पूर्व 3 बार संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, बाराँ द्वारा वेरीफाई किये गये हैं, किन्तु इस वर्ष उपरोक्त कार्यो के रजिस्टरों को वेरीफाई कराने के लिए में कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार बांरा गया तो वंहा उपस्थित संयुक्त निदेशक, आनन्दी लाल मीणा द्वारा उक्त लाईसेंस से किये गये कार्यो के रजिस्टर व बिलों आदि को वेरीफाई कराने की एवज में मुझसें एनुअल फीस के नाम से रिश्वत मांगी जा रही हैं तथा नहीं देने पर लाईसेंस निरस्त करने तथा आइन्दा कार्य करने में परेशानी पैदा करने की धमकी दी गई है। मैं मेरे वैध कार्य के लिए आनन्दी लाल मीणा को रिश्वत नहीं देना चाहता तथा उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरा आनन्दीलाल सें कोई लेनदेन बकाया नहीं है कृपया कार्यवाही करने की कृपा करें। ” परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री मनोज कुमार से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर श्री मनोज कुमार को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने बताया की आज समय अधिक को गया हैं तथा हम बांरा पहुंचेंगे जंहा तक आनन्दी लाल अपने कार्यालय से चला जायेगा, इसलिए कल प्रातः 10.00 ए.एम. पर आप नरेन्द्र जी को रिकॉर्डर देकर भेज देना मैं आनन्दीलाल मीणा से मिलकर सत्यापन कर लूंगा। परिवादी के कहेनुसार सत्यापन की कार्यवाही कल प्रातः की जानी हैं अतः परिवादी व श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को दिलाये गये तथा श्री नरेन्द्र सिंह को हिदायत की गई की प्रातः कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बांरा पहुचंकर कर इनसें मिलें तथा बाद सत्यापन स्थिति से अवगत कराये तथा परिवादी को समझाईश कर चौकी हाजा से 5.45 पी.एम. पर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 06.05.2026 समय 09.00 ए.एम. पर कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाकर श्री नरेन्द्र सिंह है. कानि. 140 को सुपुर्द किया तथा समझाईश की कि गई बांरा में परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन के पश्चात यथा स्थिति से अवगत कराये तथा फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली कर श्री नरेन्द्र िसह को बारां के लिए रवाना किया गया, जिसने समय 11.30 ए.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि निर्देशानुसार मैं प्रातः प्राईवेट वाहन से कार्यालय से रवाना होकर समय करीबन 10.40 ए.एम. पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बांरा पहुंचा था जंहा पर पूर्व वार्तानुसार परिवादी उपस्थित मिला, परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चलाकर सुपुर्द किया, तत्पश्चात परिवादी मेरे पास से रवाना होकर कार्यालय, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, बारां गया तथा मैं कार्यालय के बाहर ही खडा हो गया करीबन 15-20 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया तथा रिकॉर्डर बन्द कर मुझे सुपुर्द कर बताया कि मेरी संयुक्त निदेशक कृषि वस्ति ार, बारां आनन्दी लाल से रिश्वत के संबंध में वार्ता हो गई हैं उन्होने पहले तो मुझे चेम्बर के बाहर ही बैठने के लिए बोला तथा कुछ समय बाद मैं अन्दर गया तो उनके पूछने पर मैने कहा कि सर एक रजिस्टर पर साईन रह गये थे जिस पर आनन्दी लाल जी ने बोला के ये साईन होने से क्यों रह गया तो मैने कहा कि सर वो एनुअल फीस के चक्कर में, तब आनन्दी लाल जी ने कहा कि- फिर, तब मैने कहा कि दे दूंगा सर आज दे दूंगा शाम तक तो आनन्दी लाल जी ने कहा कि दूसरी बार आये हो तब भी शाम तक ये क्या लफडा हैं, तब मैने कहा कि वो लफडा ये हैं सर मेरे को पता नहीं हैं कि कितने क्या देनी हैं क्या नहीं देनी अब बाहर मिले जितने भी मिले वो बोल रहे हैं कि दस हजार पन्द्रह हजार, तब आनन्दी लाल जी ने कहा कि- पांच हजार, अधिकतम पांच हजार ज्यादा नहीं तब मैने कहा ठीक हैं सर। इसके बाद परिवादी व मैने रिकॉर्डर चलाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी ने जो मुझे कहा

उन कथनों की ताईद हुई है। नरेन्द्र सिंह है.कानि. द्वारा कहे गये कथनों से रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया, अतः श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादी को मय रिश्वती राशि के हमराह लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आने के निर्देश दिये, चूंकि प्रकरण में आज ही ट्रेप कार्यवाही की जानी थी अतः दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्री योगेश कानि. 291 को एक तहरीर श्रीमान अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना, खण्ड प्रथम कोटा के नाम जारी कर रवाना किया गया, जिसने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लाकर पेश किया तथा बताया कि मैं कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना, खण्ड प्रथम कोटा गया तथा जंहा से मुझे कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा के पत्रांक 1680 दिनांक 06.05.2026 से दो गवाह श्री पुष्पेन्द्र वैष्णव, सहायक अभियंता व श्री विक्रांत सैनी, कनिष्ठ अभियंता को 2.00 पी.एम. पर कार्यालय भ्रनिब्यूरो कोटा में उपस्थित देने के लिए पाबन्द कर सुपुर्द किया गया हैं। पत्र को शामिल फाईल किया गया। समय 01.35 पी.एम. पर परिवादी मनोज कुमार मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड एवं श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि.140 के कार्यालय हाजा उपस्थित आये श्री नरेन्द्र सिंह ने सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालात में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लाकर सुपुर्द कर हालात बताये तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की फर्द प्राप्ति बनाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा जरिये मोबाईल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व में बताये गये हालात व आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। समय 01.45 पी.एम. पर परिवादी श्री मनोज कुमार ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मुझे मिडिया एवं मेरे सहयोगियों से पता चला हैं कि श्री आनन्दी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार बारां को अन्य परिवादी की शिकायत पर एसीबी बारां ने ट्रेप कर लिया हैं, अतः आनन्दीलाल मीणा के संबंध में मेरे प्रकरण में अब ट्रेप कार्यवाही संभव नही हैं अतः अब तक हुई कार्यवाही व रिश्वत मांग सत्यापन के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र निम्न आशय का हैं- " उपरोक्त विषय में निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.05.2026 को सांयकाल 4.30 पी.एम. का आपके कार्यालय श्री आनन्दी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, बारां के विरूद्ध शिकायत पेश कि गई थी कि- राज्य सरकार से प्राप्त लाईसेंस के जरिये किसानों को बीज वितरण व फसल की दवाईयां तथा खाद वितरण का कार्य करीबन 4 साल से कर रहा हूं तथा इससे पूर्व 3 बार संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, बारां द्वारा रजिस्टर वेरीफाई किये गये हैं, किन्तु इस वर्ष उपरोक्त कार्यो के रजिस्टरों को वेरीफाई कराने के लिए में कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार बांरा गया तो वंहा उपस्थित संयुक्त निदेशक, आनन्दी लाल मीणा द्वारा उक्त लाईसेंस से किये गये कार्यो के रजिस्टर व बिलों आदि को वेरीफाई कराने की एवज में मुझसें एनुअल फीस के नाम से रिश्वत मांगी जा रही हैं तथा नहीं देने पर लाईसेंस निरस्त करने तथा आइन्दा कार्य करने में परेशानी पैदा करने की धमकी दी गई हैं। मैं आनन्दी लाल मीणा को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। उपरोक्त शिकायत पर आज दिनांक 06.05.2026 को शिकायत का सत्यापन मेरे द्वारा आपके कार्यालय से आये हुये श्री नरेन्द्र सिंह जी द्वारा दिये गये रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था जिसमें श्री आनन्दी लाल मीणा जी द्वारा मुझसें पांच हजार रू. रिश्वत के देने के लिए कहा गया था। रिश्वत मांग के सत्यापन के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के लिए मै पांच हजार रू.लेकर आपके कार्यालय में आया था किन्तु इसी दौरान मुझे मिडिया व अन्य सहयोगियों से पता चला कि आनन्दीलाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, बारां को किसी अन्य परिवादी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये बांरा एसीबी की टीम ने ट्रेप कर लिया हैं। आनन्दीलाल मीणा के संबंध में मेरे प्रकरण में अब ट्रेप कार्यवाही संभव नही हैं अतः अब तक हुई कार्यवाही व रिश्वत मांग सत्यापन के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। समय 02.00 पी.एम. पर श्री योगेश कानि. 291 द्वारा कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना, खण्ड प्रथम कोटा से पाबन्दशुदा गवाहान श्री पुष्पेन्द्र वैष्णव पुत्र श्री मांगी लाल वैष्णव जाति बैरागी उम्र 32 साल निवासी- ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा हाल सहायक अभियंता, कार्यालय, सहायक अभियंता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना, उपखण्ड तृतीय, बैराज स्थल कोटा। मो0न0 व श्री विक्रांत सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली उम्र 30 साल निवासी- वार्ड नं. 1 सेठवाल ढाणी नवलगढ जिला झूंझूनू हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय, सहायक अभियंता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना, उपखण्ड तृतीय, बैराज स्थल कोटा। मो0न0 उपस्थित आये।प्रकरण में अब ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं हैं अतः उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपसी परिचय करवाया गया तथा दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 05.05.2026 का रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र व आज दिनांक 06.05.2026 को दिये गये प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा दोनों प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया । रिश्वत मांग सत्यापन हेतु काम में लिये गये डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुये मैमोरी कार्ड को श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा कार्यालय के लेपटोप में लगाकर, परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया जिसमें सें परिवादी ने एक आवाज अपनी तथा एक आवाज आरोपी आनन्दी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार बारां की होना पहचान की, उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नरेन्द्र सिंह है.कान. नं. 140 सें तैयार करवाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया। समय 04.40 पी.एम. पर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 06.05.2026 को

परिवादी व आरोपी श्री आनन्दी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, बारां के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फाईल 260506 -1054, जो मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं उक्त वार्ता की 1 फाईल की हैश वेल्यू हैश चैकर एप से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा निकाली गई तथा श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 के द्वारा उपरोक्त मैमोरी कार्ड से रिकार्डिंग की फाईल को लेपटोप में लिवाया जाकर कॉपी पेस्ट कर Sandisk cruzer blade 32 GB के चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेनड्राईव आरोपी के लिये कवंर में रखकर पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड फाईल की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर, कपडे की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर किया गया। थैली पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कवर मे अनसील्ड रखकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डबिंग (कॉपी-पेस्ट) व जब्ती पेन ड्राईव एवं मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। शील्डशुदा पैकेट केा मालखाना प्रभारी आशिक हुसैन सउनि से मालखाना में जमा करवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज कुमार एवं स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पेन्द वैष्णव व श्री विक्रांत सैनी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी कोटा से सकुशल रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही सें पाया गया हैं कि दिनांक 05.05.2026 को परिवादी मनोज कुमार कार्यालय भ्रनि.ब्यूरो कोटा पर उपस्थित आया और एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि “ मैं ग्राम समसपुर का रहने वाला हूं तथा मेरे नाम कृषि हेतु बीज वितरण करने, दवाईयां सप्लाई करने तथा खाद वितरण करने के लाईसेंस हैं, उपरोक्त कार्य मेरे द्वारा मांगरोल रोड समसपुर में मेरे मकान से 4 साल से किया जा रहा हैं। मेरे द्वारा उक्त कार्य के लिए लिये लाईसेंस से किये गये समस्त कार्यो के लिए काम में लिये गये रजिस्टर व बिलों आदि को वर्ष में एक बार संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, बांरा द्वारा वेरीफाई किया जाता हैं। इससे पूर्व 3 बार संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, बारंा द्वारा वेरीफाई किये गये हैं, किन्तु इस वर्ष उपरोक्त कार्यो के रजिस्टरों को वेरीफाई कराने के लिए में कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार बांरा गया तो वंहा उपस्थित संयुक्त निदेशक, आनन्दी लाल मीणा द्वारा उक्त लाईसेंस से किये गये कार्यो के रजिस्टर व बिलों आदि को वेरीफाई कराने की एवज में मुझसें एनुअल फीस के नाम से रिश्वत मांगी जा रही हैं तथा नहीं देने पर लाईसेंस निरस्त करने तथा आइन्दा कार्य करने में परेशानी पैदा करने की धमकी दी गई है ” परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तत्पश्चात बाद सत्यापन अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु परिवादी रिश्वत में दी जाने वाली राशि के कार्यालय भ्रनि.ब्यूरो उपस्थित आया, इसी दौरान परिवादी श्री मनोज कुमार ने एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मुझे मिडिया एवं मेरे सहयोगियों से पता चला हैं कि श्री आनन्दी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार बारां को अन्य परिवादी की शिकायत पर एसीबी बारां ने ट्रेप कर लिया हैं, अतः आनन्दीलाल मीणा के संबंध में मेरे प्रकरण में अब ट्रेप कार्यवाही संभव नही हैं, अतः अब तक हुई कार्यवाही व रिश्वत मांग सत्यापन के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी के प्रार्थना पत्र के क्रम में अग्रिम कार्यवाही करते हुये दो स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पेन्द्र वैष्णव हाल सहायक अभियंता, कार्यालय, सहायक अभियंता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना, उपखण्ड तृतीय, बैराज स्थल कोटा व श्री विक्रांत सैनी हाल कनिष्ठ अभिंयता, कार्यालय, सहायक अभियंता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना, उपखण्ड तृतीय, बैराज स्थल कोटा व परिवादी के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन हेतु काम में लिये गये डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुये मैमोरी कार्ड को श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा कार्यालय के लेपटोप में लगाकर, परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया जिसमें सें परिवादी ने एक आवाज अपनी तथा एक आवाज आरोपी आनन्दी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार बारां की होना पहचान की, उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नरेन्द्र सिंह है.कान. नं. 140 सें तैयार करवाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया तत्पश्चात परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 06.05.2026 को परिवादी व आरोपी श्री आनन्दी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, बारां के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फाईल 260506 -1054, जो मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं उक्त वार्ता की 1 फाईल की हैश वेल्यू हैश चैकर एप से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा निकाली गई तथा श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 के द्वारा उपरोक्त मैमोरी कार्ड से रिकार्डिंग की फाईल को लेपटोप में लिवाया जाकर कॉपी पेस्ट कर Sandisk cruzer blade 32 GB के चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेनड्राईव आरोपी के लिये कवंर में रखकर पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड फाईल की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर, कपडे की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर किया गया। थैली पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कवर मे अनसील्ड रखकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डबिंग (कॉपी-पेस्ट) व जब्ती पेन ड्राईव एवं मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड वार्ता में पाया गया हैं कि- संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, बारां आनन्दी लाल ने पहले तो परिवादी को चेम्बर के बाहर ही बैठने के लिए बोला तथा कुछ समय बाद परिवादी अन्दर गया तो उनके पूछने पर परिवादी ने कहा कि सर एक रजिस्टर पर साईन रह गये थे जिस पर आनन्दी लाल ने बोला के ये साईन होने से क्यों रह गया तो परिवादी ने कहा कि सर वो एनुअल फीस के चक्कर में। तब आनन्दी लाल ने कहा - फिर, तब परिवादी ने कहा कि दे दूंगा सर आज दे दूंगा शाम तक तो आनन्दी लाल ने कहा कि- दूसरी बार आये हो तब भी शाम तक ये क्या लफडा हैं, तब परिवादी ने कहा कि वो लफडा ये हैं सर मेरे को पता नहीं हैं कि कितने क्या देनी हैं क्या नहीं देनी अब बाहर मिले जितने भी मिले वो बोल रहे हैं कि दस हजार पन्द्रह हजार, तब आनन्दी लाल ने कहा कि- पांच हजार, अधिकतम पांच हजार ज्यादा नहीं तब परिवादी ने कहा ठीक हैं सर। अब तक हुये घटनाक क्रम व रिकॉर्ड वार्ता सें पाया गया हैं कि-परिवादी के कहेनुसार दिनांक 04.05.2026 को उसके नाम के कृषि हेतु बीज वितरण करने, दवाईयां सप्लाई करने तथा खाद वितरण करने के लाईसेंस से किये गये कार्य के रजिस्टर व बिलो आदि को वेरीफाई कराने के लिए संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार बारां गया था जंहा पर उसके रजिस्टरों आदि को वेरीफाई करने के लिए संयुक्त निदेशक द्वारा एनुअल फीस के नाम पर रिश्वत की मांग की गई, जिस पर परिवादी ने एसीबी में शिकायत की शिकायत के क्रम में सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन में परिवादी की आनन्दीलाल से रजिस्टर पर साईन रहने बाबत वार्ता हुई जिस पर आरोपी ने कहा कि इस रजिस्टर पर साईन क्यों रह गये इस पर परिवादी ने कहा कि सर वो एनुअल फीस के चक्कर में। तब आनन्दी लाल ने कहा - फिर, तब परिवादी ने कहा कि दे दूंगा सर आज दे दूंगा शाम तक तो आनन्दी लाल ने कहा कि- दूसरी बार आये हो तब भी शाम तक ये क्या लफडा हैं, तब परिवादी ने कहा कि वो लफडा ये हैं सर मेरे को पता नहीं हैं कि कितने क्या देनी हैं क्या नहीं देनी अब बाहर मिले जितने भी मिले वो बोल रहे हैं कि दस हजार पन्द्रह हजार, (परिवादी ने कहा कि मुझे आपने बताया नहीं कि एनुअल फीस के रूप में राशि कितनी देनी हैं बाहर दूसरे डीलर मिले जिन्होने ने किसी दस हजार किसी ने पन्द्रह हजार की बोला हैं) तब आनन्दी लाल ने कहा कि- पांच हजार, अधिकतम पांच हजार ज्यादा नहीं तब परिवादी ने कहा ठीक हैं सर। अतः वार्ता सें स्पष्ट हो गया हैं कि परिवादी के रजिस्टरों को वेरीफाई करने के नाम पर आरोपी आनन्दी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक द्वारा पांच हजार रू. रिश्वत की मांग की गई तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जा रहा था इसी दौरान परिवादी द्वारा सूचित किया गया कि आनन्दी लाल मीणा को अन्य परिवादी की शिकायत पर एसीबी, बांरा ने ट्रेप कर लिया हैं। अतः ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं होने सें परिवादी के प्रार्थना पत्र के क्रम में अग्रिम कार्यवाही करते हुये श्री आनन्दी लाल मीणा, संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार जिला बांरा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिस पर परीक्षणोपरांत आरोपी आनन्दीलाल मीणा पुत्र श्री जयलाल मीणा निवासी- ग्राम छादगांव पोस्ट हिंगोनिया, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी तत्कालीन संयुक्त निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार,जिला बांरा हाल सेवानिवृत के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।(विजय स्वर्णकार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।.....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री आनन्दीलाल मीणा पुत्र श्री जयलाल मीणा निवासी- ग्राम छादगांव पोस्ट हिंगोनिया, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी तत्कालीन संयुक्त निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला बांरा हाल सेवानिवृत के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शरीफ अहमद, पुलिस निरीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 219 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1515-18 दिनांक 16.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि आयुक्तालय, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SHAREEF AHMAD **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/09/2026 17:48:50

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1960				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)